

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012025-260595  
CG-DL-E-29012025-260595

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| सं. 78] | नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946        |
| No. 78] | NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946 |

---

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड)  
(संशोधन) विनियम, 2025**

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.117.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 204 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 की अनुसूची के पैरा VI के खंड 12क में, -

- (i) उप-खंड (3) के परन्तुक में “पैंतालीस” शब्द के स्थान पर “नब्बे” शब्द रखा जाएगा।
- (ii) उप-खंड (5) में “पन्द्रह” शब्द के स्थान पर “नब्बे” शब्द रखा जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./935/2024-25]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 75, तारीख 31 जनवरी, 2024 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.111, तारीख 31 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा किया गया था।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2025

### Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2025.

**F. No. IBBI/2024-25/GN/REG117.**—In exercise of the powers conferred by sections 196, 204, 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, in the Schedule, in para VI, in clause 12A -
  - (i) in the proviso to sub-clause (3), for the words “forty-five”, the word “ninety” shall be substituted.
  - (ii) in sub-clause (5), for the word “fifteen”, the word “ninety” shall be substituted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./935/2024-25]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21<sup>st</sup> November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22<sup>nd</sup> November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2024 published *vide* notification No. IBBI/2023-24/GN/REG111 dated 31<sup>st</sup> January 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 75 on 31<sup>st</sup> January 2024.